न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री ब्रजेश कुमार चान्दोलिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 85/2014

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
रामपाल पुत्र रूपाराम जाति बावरी निवासी धारणा तहसील जायल जिला नागौर।		1छगनाराम पुत्र पूसाराम जाति बावरी निवासी धारणा तहसील जायल जिला नागौर। 2तहसीलदार, जायल।

उपस्थिति :–

1. श्री रामकिशोर मुण्डेल अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री गंगासिंह कालवी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से।
3. श्री कुन्दन सिंह आचीणा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 11.09.2018

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, जायल द्वारा ग्राम धारणा के नामान्तरकरण सं. 338 निर्णय दिनांक 30.06.1990 से असंतुष्ट होकर दिनांक 21.11.2014 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 09.12.2014 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री गंगासिंह कालवी अधिवक्ता तथा रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से श्री कुन्दन सिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में नामान्तरकरण सं. 338 दिनांक 30.06.90 की फोटोप्रति तथा सहायक कलक्टर, जायल के वाद सं. 208/89 के फर्द अहकाम की फोटोप्रति की है।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने मियाद के बिंदु पर बहस शुरू करते हुए बताया कि अपील हाजा में खेताय खसरा नं. 108 व 540 का मौके पर कब्जा काश्त व खातेदारी हक अपीलांट का निरंतर रहा है एवं खसरा नं. 86 का विक्रय अपीलांट ने कर दिया, वैसी सूरत में रेस्पोडेन्ट का कभी भी शामलाती अथवा अकेले का उक्त खेताय पर कभी कब्जा काश्त नही होने से भी म्यूटेशन सं. 338 निरस्तनीय है। अपीलांट को दिनांक 18.11.14 को रेस्पोडेन्ट ने पुलिस थाना जायल के मार्फत धमकाया कि उक्त खेताय का कब्जा छोडकर चला जावे, तब अपीलांट ने म्यूटेशन व दावा की नकले प्राप्त की, जिससे जानकारी के अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की गई है। जिससे मामले को गुणावगुण पर सुनवाई कर निर्णय किया जाना न्याय संगत है।

वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय के सामान्य सिद्वान्तों की अवहेलना कर निर्णय जैर म्यूटेशन सं. 338 दिनांक 30.06.90 का पारित कर दिया। जो निरस्तनीय है।

{2}(II)–रेस्पोडेन्ट सं. 1 छगनाराम ने वाद सं. 208/89 सहायक कलक्टर जायल में प्रस्तुत किया, उस समय अपीलांट सन् 1989 में नाबालिग होने से रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने गलत तथ्य दर्ज कर अपीलांट को बालिग बताकर दावा प्रस्तुत किया एवं न्यायालय में बयान भी अपीलांट रामपाल के स्थान पर अन्य किसी व्यक्ति को प्रतिवादी रामपाल होना व छदम प्ररूप के रूप में न्यायालय को धोखा देकर डिक्री व निर्णय राजीनामा के जरिये प्राप्त किया तो प्रथमतः अवैध शून्य व शून्यकणीय होने से म्यूटेशन सं. 338 दिनांक 30.06.90 का निरस्तनीय है।

{2}(III)–रेस्पोडेन्ट सं. 1 छगनाराम ने वाद सं. 208/89 में कही पर अपने आप को प्रतिवादी सं. 1 का सगा भाई दर्शाया, कही पर रूपाराम के पिता के भाई का पुत्र दर्शाया जाकर वाद पत्र झूठे तथ्यों का दावा प्रस्तुत कर फर्जी डिक्री प्राप्त की है, जो विधिक रूप से किसी भी दशा में वैधानिक व न्याय संगत नही है। इसलिये भी निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.90 का म्यूटेशन नं. 338 दिनांक 30.06.90 निरस्तनीय है। इसलिये आदेश जैर अपील निरस्त किया जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जाना चाहिये।

अपर कलक्टर, नागौर

{3}–रेस्पोडेन्ट संख्या 1 विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में बताया गया कि नामान्तरकरण जैर अपील न्यायालय सहायक कलक्टर, जायल के निर्णय/डिक्री से भरा गया है। जिसकी अपील चलने योग्य नही है। सहायक कलक्टर के आदेश से यदि कोई व्यथित है, तो उसे सक्षम अपीलीय न्यायालय में जाना चाहिये। यदि कोई फर्जकारी कार्यवाही हुई हो और उसका अनुतोष चाहे तो सिविल न्यायालय द्वारा ही संभव होता है। इस प्रकार यह अपील चलने योग्य नही होने से निरस्त की जानी चाहिये।

{4}–अपीलांट के अधिवक्ता ने पुनः बहस में बताया कि सहायक कलक्टर जायल के आदेश के विरूद्व अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के यहां विचाराधीन है। नामान्तरकरण के मामलों में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रावधान है तथा आदेश की अपील होने की स्थिति में नामान्तरकरण अपील चलने मे कोई कानूनी बाध्यता नही है तथा वो नामान्तरकरण के विरूद्व न्यायालय हाजा में अपील में आ सकते है। प्रकरण में अपीलांट नाबालिग था अथवा नही की तहसीलदार से जांच आवश्यक है। इसलिये प्रकरण रिमाण्ड किया जाना चाहिये।

{5}– उभय पक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाट द्वारा तहसीलदार, जायल द्वारा ग्राम धारणा के नामान्तरकरण सं. 338 निर्णय दिनांक 30.06.1990 जो कि सहायक कलक्टर, जायल की डिक्री/निर्णय की पालना में भरा गया है, को लेकर अपील प्रस्तुत की गई है। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से व्यथित होने की स्थिति में अपीलय न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर, जायल के आदेश के आधार पर नामान्तकरण भरा गया है, जो उचित आधारों पर प्रतीत होता है, जिसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है।

{6}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर नामान्तकरण जैर अपील न्यायालय आदेश से भरा गया है। जिससे यह अपील चलने योग्य नही होने से खारीज की जाती है।

{7}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/9/18

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर